न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 762 दिनांक 02/04/2024

अनवान :–

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
कृष्ण वगैरा	बनाम	अमोलख वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 10/2023 दिनांक : 02.04.2024

आदेश

तहसीलदार **धनाऊ** को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील **धनाऊ**, पटवार क्षेत्र गोहड़ का तला के मौजा सैयद मौज अली का तला तला में खसरा सं. 266/117 रकबा 03.6826 हैक्टयर एवं खसरा सं. 265/117 रकबा 03.6907 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2024/ 763 to 766 दिनांक 02/04/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण कृष्ण वगैरा
3. विप्रार्थीगण अमोलख वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीज[illegible]/धनाऊ/[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:45:30 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन